06/02/25

पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही आज पेश
हुई सुनी गयी बहस व विधिक प्रावधानों
पर मनन किया। मैंने TDR दाता (मिग) 6
द्वारा प्राप्त रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध
दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे
स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन 251 A स्वीकार
योग्य है। TDR दाता (मिग) 6 द्वारा प्राप्त
रिपोर्ट में पक्षकार जमीन के बदले जमीन
लेने पर सहमत हुये। अतः न्यायहित
में प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा
251 A RMA स्वीकार किया जाता है। आदेश
पृथक से टंकण कराकर शामिल रहे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो। [signature]

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए

उपस्थिति–

1. श्री राजेन्द्र सिंह रणवां वकील प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से वकील पोखरमल भींचर हाजिर।
3. अप्रार्थी संख्या 9 व 11 की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र डाणियां द्वारा राजीनामा पेश।
4. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7, 10, 12 लगायत 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य दिनांक –06.02.2025

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम चिड़ासरा से भीमा जाने वाली डामर सड़क में मिलता हुआ भूमि खसरा नम्बर 158 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 151 में प्रवेश करने तक मार्क– "A B" नक्शे में दर्शित लम्बा–चौड़ा रास्ता कायम करवाना चाहता हूँ। उक्त भूमियों ग्राम बिजारणियों की ढ़ाणी पटवार हल्का भीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के तन में अवस्थित है। उक्त रास्ता निकटतम एवं सुगम है व धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, उक्त रास्ते के बिना आवेदक अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग करने से पूर्णतया वंचित हो जायेगा। मैं यह आवेदन–पत्र मेरी खातेदारी की भूमि के बेहतर उपयोग हेतु रास्ते के सम्बंध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रार्थी/आवेदक को अपने खेत में आवागमन एवं पशुधन लाने ले जाने की निरन्तर व दिन–प्रतिदिन आवश्यकता बनी रहती है तथा इस रास्ते के अलावा आवेदक की कृषि भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ते में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि अदा करने हेतु आवेदक तैयार है इसलिए कृषि भूमि खसरा नम्बर 158 की दक्षिणी सीमा पर अवस्थित सडक से होकर खसरा नम्बर 158 की पश्चिम सीमा के सहारे–सहारे होते हुए उत्तर की और खसरा नम्बर 151 में प्रवेश करने तक मार्क– "A B" नक्शे

में दर्शित लम्बा–चौड़ा रास्ता में आने वाली कृषि भूमि की प्रतिकर राशि अदा करने हेतु आवेदक तैयार है। इसलिए कृषि भूमि खसरा नंबर 151 तन ग्राम बिजारणियों की ढ़ाणी पटवार हल्का भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में से आने वाली भूमि को निर्वापित कर रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना सादर प्रार्थनीय है। अतः हम यह इस्दुआ प्रस्तुत करते है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम बिजारणियाँ की ढाणी पटवार हल्का भीमा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 1.2500 हैक्टेयर में से पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे दक्षिण से उतर लम्बा रास्ता जिसे आवेदन के संलग्न नक्शा ट्रेश में दर्शित मार्क– "A B" जिसे नजरी नक्शे में भी दर्शाया जा रहा है, चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नही है, आवेदक को अपने खेत में पहुँचने हेतु अनावेदक संख्या 1 लगायत 14 की भूमि में बताये गये उपरोक्त विववरण के रास्ते की पूर्ण आवश्यकता है उक्त रास्ता सुगम व निकटतम है व धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। उक्त रास्ते के बिना आवेदक अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग–उपभोग करने से पूर्णतया वंचित हो जायेगा, मैं यह प्रार्थना–पत्र मेरी खातेदारी की भूमि के बेहतर उपयोग हेतु रास्तें के सम्बंध में आज्ञा प्रदान करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ एवं इस्तदुआ करता हूँ कि मेरी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 151 रकबा 2.0900 हैक्टेयर तन ग्राम बिजारणियों की ढ़ाणी पटवार हल्का भीमा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के उपयोग उपभोग हेतु वांछनीय एकमात्र रास्ता सुगम व नजदीक है जो चिड़ासरा–भीमा सड़क से उतर की ओर भूमि खसरा नम्बर 158 रकबा 1.25000 हैक्टेयर में से पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे उतर की ओर प्रार्थी / आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 151 रकबा 2.0900 हैक्टेयर में प्रवेश करने तक मार्क– "A B" लम्बे रास्ते में आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि तय करके अनावेदक संख्या 1 लगायत 14 को दिलायी जाकर रास्ता में आने वाली भूमि को

निर्वापित करके राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में दर्ज कर अलग खसरा नम्बर डालकर राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7, 10, 12 लगायत 17 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से वकील पोखरमल भींचर हाजिर। अप्रार्थी संख्या 9 व 11 की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र डाणियां द्वारा राजीनामा पेश।

3. तहसीलदार दांतारामगढ से रिपोर्ट मंगवाई गयी। तहसील दांतारामगढ़ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 2022/भू.अ./2242 दिनांक 27.07.2022 में अंकन किया कि आवेदक द्वारा ग्राम बिजारणियों की ढ़ाणी खसरा नम्बर 158 में से अपने खातेदारी खेत ख0न0 151 में जाने हेतु रास्ता चाहा है। आवेदक के खेत में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं आवेदक के खेत से आने जाने का सबसे नजदीकी रास्ता आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता ही है। ख0न0 158 में से आवेदक के खेत ख0न0 151 में जाने के लिये उत्तर से दक्षिण 150 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा कुल 600 वर्गमीटर रास्ता आवेदक द्वारा चाहा गया है। खसरा नम्बर 158 के खातेदार फति देवी पत्नि अर्जुनराम नारायणी देवी, बलदेवाराम, भागीरथ मल, सोहनी देवी पुत्र/पुत्रियां अर्जुनराम, पेफाराम पुत्र पोखरराज, फुसा पुत्र हुक्मा (फौत), भंवरलाल पुत्र छिगनलाल प्रतिकर की रकम पर सहमत नहीं हुए, उक्त खातेदार जमीन के बदले जमीन लेने पर रजामंद हुये। जो कि खसरा नम्बर 158 की उत्तरी सीमा पर खसरा नम्बर 151 की दक्षिणी सीमा पर उक्त जमीन लेने पर सहमत हुये। आवेदन 251 ए पर बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—ए की मंशा रास्ते की आत्यंधिक

आवश्यकता होने की स्थिति में सबसे नजदीकी रिकार्डेड रास्ते से आवेदक काश्तगार को रास्ता दिये जाने की मंशा रखती है। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदक को रास्ते की आत्यंकिक आवश्यकता है। **अतः प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बिजारणियों की ढ़ाणी प0ह0 भीमा तहसील दांतारामगढ़ के ख0न0 158 में से आवेदक के खेत ख0न0 151 में जाने के लिये उत्तर से दक्षिण 150 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौड़ा कुल 600 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर अप्रार्थीगण को रास्ते के बदले खसरा नम्बर 158 की उत्तरी सीमा व खसरा नम्बर 151 की दक्षिणी सीमा पर उक्त जमीन दी जावे। अतः तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 158 की उत्तरी सीमा व खसरा नम्बर 151 की दक्षिणी सीमा पर कुल कुल 600 वर्गमीटर जमीन रास्ते के बदले अप्रार्थीगण को देने के पश्चात उक्त रास्ते को मौके पर नपती की जाकर गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशानदेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये।**

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोनिका सामोर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ